विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/1023 दिनांक : 10-05-19

प्रति,

प्राचार्य,
निर्मला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
देवास रोड़,उज्जैन।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक/VU1901220002,दिनांक 29.01.2019 एवं VU1901220003,दिनांक 29.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 29.04.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 04.05.2019 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें समिति द्वारा अनुशसा की गई कि, "निर्मला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,उज्जैन में सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.एड.–द्वितीय वर्ष –(सीट संख्या 50),एवं बी.एससी.बी.एड.–तृतीय वर्ष,–(सीट संख्या 50),पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।" समिति द्वारा की गई अनुशसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019–20 से प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–द्वितीय वर्ष	50
02.	बी.एससी.बी.एड.–तृतीय वर्ष	50

शर्ते :–01. खेल का मैदान विकसित किया जाये।
02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन अविलम्ब कराये।

- **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**
- **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की आगामी कक्षा की सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/1024 दिनांक : 10-05-19

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन,श्यामला हिल्स,भोपाल।

निरंतर...02

Scanned with CamScanner

4. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,शा.कालिदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
   की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
10/5/19

Scanned with CamScanner

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/96 दिनांक : 1/6/17

प्रति,

प्राचार्य,
निर्मला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
देवास रोड़,उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक/03,दिनांक 13.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, निर्मला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,(नवीन) देवास रोड़,उज्जैन में सत्र 2017–18 से बी.एससी.बी.एड. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.एससी.बी.एड. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति तीन माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–2018 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एससी.बी.एड.–प्रथम वर्ष	50

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

03. आवेदित पाठ्यक्रमानुसार 100 पुस्तकें क्रय कर पुस्तकालय में रखी जाये।

04. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रू.25,000(अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि, उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

Scanned with CamScanner

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/97 दिनांक : 1/6/17

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Scanned with CamScanner

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक /549 /डी.एड.सेल/2017 भोपाल, दिनांक 30/05/2017

संस्था कोड–44206

प्रति,

प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव
अशासकीय संस्था निर्मला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
ग्राम प्रेमनगर, चंदेश्वरी, स्टीट रोड़ देवास रोड तालुका उज्जैन
शहर प्रेम नगर, चंदेरी
जिला–उज्जैन–456664 (म.प्र.)

विषयः– डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2017–18 से मण्डल की नवीन संबद्धता बाबत्।

——//——

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक– WRC/NCTE/APP201660160/9521/222/275th/D.EL.Ed/(M.P.)/2017/184849 दिनांक 03.05.2017 एवं शासन के पत्र क्र.–808/858/2016/20–2 दिनांक 19.05.2016 के अनुक्रम में आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 50 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2017–18 से मण्डल की संबद्धता एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276/12 (माँ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को संबद्धता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तद्संबंधी जारी प्रवेश नियम एवं परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

2. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

3. मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

4. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को एन.सी.टी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन को मान्य नहीं किया जावेगा

PRINCIPAL
Nirmala College Of Education
Ujjain

Scanned with CamScanner

5. संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का यह भी दायित्व है कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा सहयोग प्रदान कर विधिवत रूप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

पंजीयक (डी.एल.सी.)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृ.क्रमांक/ 550 /डी.एल.सी./2017 भोपाल दिनांक 30/05/2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा गवविभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

PRINCIPAL
Nirmala College Of Education
Ujjain

पंजीयक (डी.एल.सी.)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

Scanned with CamScanner